

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक :

दिनांक :

समस्त जिला कोषाधिकारी (अल्प बचत),
राजस्थान।

विषय :- कार्यालय प्रधान महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से
03/2020 की अनुपालना बाबत।

संदर्भ :- इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन 04/2019 से 03/2020 में बकाया आक्षेप की अनुपालना हेतु सभी जिला कोष कार्यालय (अल्प बचत) महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं बिन्दु टिप्पणी सहित शीघ्र प्रेषित करावें।

1. 2019-20 में MPKBY योजना के तहत जिले में कार्यरत अभिकर्ता, नियुक्ति कब-कब व कितनी अवधि के लिए की गई ?
2. वर्ष 2019-20 में जिलेवार कुल कितने MPKBY अभिकर्ताओं का नवीनीकरण किया गया है और कितनों के आवेदन लम्बित है ?
3. MPKBY अभिकर्ताओं द्वारा 2019-20 में डाकघर में कब-कब व कितनी राशि जमा करवाई गई है ?
4. MPKBY अभिकर्ताओं को विभाग द्वारा कमीशन में वर्ष 2019-20 में कितनी राशि दी गई ?
5. MPKBY योजना के प्रचार-प्रसार हेतु किया गया व्यय व उपायों का विवरण।

उपर्युक्त संबंधित बिन्दुवार सूचना 3 कार्यदिवस में निदेशालय कोष एवं लेखा के अल्प बचत अनुभाग की मेल Id :- ddss-ta-rj@nic.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त सूचना में देरी (delay) के लिए जिला कोषाधिकारी जिम्मेदार होंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक : 3323-3364

दिनांक : 8/3/2020

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (एसीपी) को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।

निदेशक